न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती रेनू मीना, आर०ए०एस०

वाद संख्याः 1/146
प्रवेश तिथीः 16.09.2020

01– श्रीमती बबली पुत्री स्व० ज्ञानचन्द, उम्र करीब 42 साल, जाति खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर हाल निवासी 3/266, मुल्तान नगर, देहली रोड, जे एस फोरव्हील के पास, अलवर (राज०) –वादिनी

बनाम

01– शांति देवी पत्नी स्व० ज्ञानचन्द, उम्र करीब 69 साल,
02– शंकरलाल पुत्र स्व० ज्ञानचन्द, उम्र करीब 40 साल,
03– गोपाल कृष्ण पुत्र स्व० ज्ञानचन्द, उम्र करीब 38 साल,
जतियान खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर **–असल प्रतिवादीगण**

04– सोमनाथ पुत्र रामलाल, जाति खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर
05– रविन्द्र कुमार पुत्र देशराज, जाति खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर
06– गुरूदत्ता पुत्र देशराज, जाति खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर
07– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अलवर, लैण्ड होल्डर, तहसील व जिला अलवर **–तकमीली प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा–53–188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांकः 16.03.2021

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खाता नं० 233 आराजी खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.09 है०, 1106 रकबा 0.03 है०, 1107 रकबा 0.16 है०, 1114 रकबा 0.06 है०, 1191 रकबा 013 है०, 1192 रकबा 0.01 है०, 1203 रकबा 0.08 है०, 1615 रकबा 0.04 है०, 1616 रकबा 0.04 है०, 1617 रकबा 0.32 है0, कुल किता 10 रकबा 0.96 है0, वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर में स्थित है जिस आराजी में वादिनी व प्रतिवादी नं० 1, 2 व 3 का एवं सुमन व रेखा का समान हिस्सा है। यानि उक्त आराजी में मिन वादिनी का 1/6 हिस्सा है। सुमन व रेखा ने अपना

कलक्टर
वर

Scanned by CamScanner

हिस्सा प्रतिवादीगण शंकरलाल व गोपाल कृष्ण को मुताबिक हिस्से रिकॉर्ड कर दिया है व खाता नं० 315 आराजी ख० नं० 1199 रकबा 0.27 है० वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर में वाके है। जिस आराजी में प्रतिवादीगण शांतिदेवी, शंकरलाल, गोपालकृष्ण, सुमन, रेखा व वादिनी का 5 बिस्वा हिस्सा व तकमीली प्रतिवादीण रविन्द्र कुमार व गुरूदत्ता का 10 बिस्वा हिस्सा है एवं सोमनाथ का 5 बिस्वा हिस्सा है। सुमन व रेखा ने अपना हिस्सा दर 5 बिस्वा मुताबिक हिस्से एवं रिकॉर्ड शंकरलाल, गोपालकृष्ण प्रतिवादीगण को हक त्याग कर दिया है। वादीगण ने असल प्रतिवादीगण से कई बार विवादित आराजी को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर मौके पर कुर्रेजात कायम कर, पत्थरगढी करवाकर अलग–अलग खाता कराते हुए कागजात माल में मल कराने के लिए कहा किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को आश्वासन देते रहे। दिनांक 03.05.2016 को असल प्रतिवादीगण ने स्पष्ट कहा कि वो विवादित आराजी का तकासमा कराये बगैर रहन बय मुन्तकिल करके रहेगे। दिनांक 03.05.2016 को असल प्रतिवादीगण ने वादीगण को दीगर व्यक्तियों के साथ मिलकर धमकाया व आराजी के उपयोग व उपभोग में मजाहमत पैदा की जिस कारण वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। असल प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी का तकासमा कराये बगैर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण कराया जाता है या आराजी को रहन बय हिब ईत्यादि के द्वारा मुन्तकिल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी। वाद में तहसीलदार अलवर को बहैसियत लैण्ड होल्डर पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध वाद में कोई अनुतोष वांछित नहीं है। वादिनी को अपने हिस्से की आराजी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अराजी पर तकसीम कराया जाकर कब्जा असल प्रतिवादीगण से आराजी मुतनाजा का दखल दिलाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 03 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 26.06.2018 को वादिनी का वाद बाबत् तकसीम प्रारम्भिक डिक्री किया गया। प्रकरण तहसीलदार अलवर से कुर्रेजात रिर्पोट मंगाई गई।

तहसीलदार अलवर से पत्रांक: एल.आर./18/6640 दिनांक 1812.2018 को कुर्रेजात तैयार भिजवाये गए। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता नं० 233 आराजी खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.09 है०, 1106 रकबा 0.03 है०, 1107 रकबा 0.16 है०, 1114 रकबा 0.06 है०, 1191 रकबा 013 है०, 1192 रकबा 0.01 है०, 1203 रकबा 0. 08 है०, 1615 रकबा 0.04 है०, 1616 रकबा 0.04 है०, 1617 रकबा 0.32 है0, कुल किता 10 रकबा 0.96 है0, वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर ''शंकरलाल पुत्र ज्ञानचन्द 1/2, गोपालकृष्ण पुत्र ज्ञानचन्द हि. 1/3, बबली पुत्री ज्ञानचन्द हि. 1/6 जाति खत्री सा. देह खातेदार'' दर्ज रिकॉर्ड है।

मुताबिक रिकार्ड व मौका उपरोक्त खातेदार की प्रस्तावित कुर्रेजात निम्नानुसार है:–

क्र०सं०	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर
01	शंकर लाल पुत्र ज्ञानचन्द हि.1/2	1203 रकबा 0.08
	गोपालकृष्ण पुत्र ज्ञानचन्द हि.1/3	1616 रकबा 0.04
	जाति खत्री सा. देह खातेदार	1617मि. रकबा 0.275
		1615 रकबा 0.02

कलक्टर
वर

Scanned by CamScanner

1106 रकबा 0.03
1107मि. रकबा 0.12
1114 रकबा 0.06
1084 रकबा 0.09
1191मि. रकबा 0.09
किता–9 रकबा 0.805

02	बबली पुत्री ज्ञानचन्द जाति खत्री सा. देह 1/6 खातेदार	1617 मि. रकबा 0.045 1615 मि. रकबा 0.02 1107 मि. रकबा 0.04 1191 मि. रकबा 0.04 1192 रकबा 0.01 **किता–5 रकबा 0.155**

प्रकरण में अंतिम बहस हेतु आवाज दिलाई गई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रा०पत्र प्रस्तुत करते हुऐ तहसीलदार अलवर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिर्पोट पर ऐतराज दर्ज किया गया। वादनी का प्रा०पत्र बाबत ऐतराज कुर्रेजात खारिज किया जाता है।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलातो व तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये कुर्रेजात रिर्पोट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तो अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वादिनी का वाद डिक्री किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि आराजी ख०नं० 1617 मि. रकबा 0.045, 1615 मि. रकबा 0.02, 1107 मि. रकबा 0.04, 1191 मि. रकबा 0.04, 1192 रकबा 0.01 कुल किता–5 रकबा 0.155 बबली पुत्री ज्ञानचन्द जाति खत्री व 1203 रकबा 0.08, 1616 रकबा 0.04, 1617मि. रकबा 0.275, 1615मि. रकबा 0.02, 1106 रकबा 0.03 1107मि. रकबा 0.12, 1114 रकबा 0.06, 1084 रकबा 0.09, 1191मि. रकबा 0.09 किता–9 रकबा 0.805 शंकर लाल पुत्र ज्ञानचन्द हि.3/5, गोपालकृष्ण पुत्र ज्ञानचन्द हि. 2/5 जाति खत्री को वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर खातेदार काश्तकार धोषित किये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाकर खाते अलग–अलग कायम किये जावे। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेनू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

3

मूल वाद में डिक्री प्रारम्भिक
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज0)
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेनू मीना, आर०ए०एस०

उनवान

01– श्रीमती बबली पुत्री स्व० ज्ञानचन्द, उम्र करीब 42 साल, जाति खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर हाल निवासी 3/266, मुल्तान नगर, देहली रोड, जे एस फोरव्हील के पास, अलवर (राज०) –वादिनी

बनाम

01– शांति देवी पत्नी स्व० ज्ञानचन्द, उम्र करीब 69 साल,
02– शंकरलाल पुत्र स्व० ज्ञानचन्द, उम्र करीब 40 साल,
03– गोपाल कृष्ण पुत्र स्व० ज्ञानचन्द, उम्र करीब 38 साल,
जतियान खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर **–असल प्रतिवादीगण**
04– सोमनाथ पुत्र रामलाल, जाति खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर
05– रविन्द्र कुमार पुत्र देशराज, जाति खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर
06– गुरूदत्ता पुत्र देशराज, जाति खत्री निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर
07– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अलवर, लैण्ड होल्डर, तहसील व जिला अलवर **–तकमीली प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– 1/146 तारीख रज्जू 16.09.2020

निर्णय दिनांक :– 16.03.2021

वादी की ओर से श्री राजेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से XXXX अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.03.2021 को सहायक कलक्टर, अलवर के समुख अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि आराजी ख०नं० 1617 मि. रकबा 0.045, 1615 मि. रकबा 0.02, 1107 मि. रकबा 0.04, 1191 मि. रकबा 0.04, 1192 रकबा 0.01 कुल किता–5 रकबा 0.155 बबली पुत्री ज्ञानचन्द जाति खत्री व 1203 रकबा 0.08, 1616 रकबा 0.04, 1617मि. रकबा 0.275, 1615मि. रकबा 0.02, 1106 रकबा 0.03 1107मि. रकबा 0.12, 1114 रकबा 0.06, 1084 रकबा 0.09, 1191मि. रकबा 0.09 किता–9 रकबा 0.805 शंकर लाल पुत्र ज्ञानचन्द हि.3/5, गोपालकृष्ण पुत्र ज्ञानचन्द हि. 2/5 जाति खत्री को वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर खातेदार काश्तकार धोषित किये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाकर खाते अलग–अलग कायम किये जावे।

यह आज तारीख 16.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रेनू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर
सहायक कलक्टर
अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अलवर (राज०) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner